



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ७, अंक २६]

बुधवार, सप्टेंबर १५, २०२१/भाद्र २४, शके १९४३

[पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ३२

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),

जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक

आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,

Mumbai 400 032, dated the 15th September 2021.

NOTIFICATION

No. BYE. 2021/C.R. 498/21/XXXIII.— In pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56, 21 and sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951) the following is published for General Information:—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated the 15th September, 2021
Bhadrapada 24, 1943 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 100/CS-MT/08/2021(1).— WHEREAS, the seat of Shri Rajeev Shankarrao Satav, in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Maharashtra, has become vacant on 16th May 2021 by the reason of his death, before the expiration of his term of office which was up to and including 2nd April 2026 ; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby,—

(A) calls upon the elected members of the Legislative Assembly of Maharashtra to elect, before 6th October 2021 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States ;

(B) appoints, with respect to the said election ;

- (a) the 22nd September 2021 (Wednesday), as the last date for making nominations ;
- (b) the 23rd September 2021 (Thursday), as the date for the scrutiny of the nominations ;
- (c) the 27th September 2021 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures ;
- (d) the 4th October 2021 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and
- (e) the 6th October 2021 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed ; and

(C) fixes the hours from **09-00 am** to **04-00 pm**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

SUMAN KUMAR DAS,
Secretary to the Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक 15 सितम्बर, 2021
भाद्रपद 24, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/रा.स. महाराष्ट्र/08/2021(1) यतः.— महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्री राजीव शंकरराव साटव का स्थान जिनकी पदावधि 2 अप्रैल 2026 सहित उस तारीख तक थी के समाप्त होने से पूर्व उनकी मृत्यु होने के कारण 16 मई 2021 से रिक्त हो गया है ; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा,—

(अ) महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 6 अक्टूबर, 2021 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में :—

- | | |
|---|---|
| (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख | — 22 सितम्बर, 2021 (बुधवार) ; |
| (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख | — 23 सितम्बर, 2021 (गुरुवार) ; |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख | — 27 सितम्बर, 2021 (सोमवार) ; |
| (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा | — 4 अक्टूबर, 2021 (सोमवार) ; और |
| (ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | — 6 अक्टूबर, 2021 (बुधवार) ;
नियत करता है ; और |

(इ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

सुमन कुमार दास,
सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated the 15th September, 2021
Bhadrapada 24, 1943 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 100/CS-MT/08/2021(2).— In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Maharashtra, hereby,—

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer ; and
- (ii) appoints the officers, specified in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions ;

in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in the State in pursuance of the Commission's Notification, published in the *Gazette* of India on 15th September, 2021:-

TABLE

Officer Designated as Returning Officer (1)	Officer Appointed as Assistant Returning Officer (2)
Sh. Rajendra Bhagwat, Principal Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat	1. Sh. Vilas G. Athawale, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat 2. Sh. Prakashchandra Shriram Khondalay, Under Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat

By order,

SUMAN KUMAR DAS,
Secretary to the Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक 15 सितम्बर, 2021
भाद्रपद 24, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/रा.स. महाराष्ट्र/08/2021(2).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम्, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा तारीख 15 सितम्बर 2021 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य से राज्य सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में एतद्द्वारा-

- (i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है ; और
- (ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी (1)	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी (2)
श्री. राजेंद्र भागवत, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय	1. श्री. विलास गो. आठवले, उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय 2. श्री. प्रकाशचंद्र श्रीराम खोंदले, अवर सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय

आदेश से,

सुमन कुमार दास,
सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

S.S.BORKAR,
Under Secretary and Deputy Chief,
Electoral Officer Maharashtra State.

क्र. बीवायई २०२१/प्र.क्र. ४९८/२१/३३

सामान्य प्रशासन विभाग

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,

दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :—

- (१) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
- (२) उप सचिव तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
- (३) अवर सचिव तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
- (४) निवडनस्ती.

सं. ना. गरुडकर,

कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग,

महाराष्ट्र शासन.